

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनबाद)

अभिलेख सं० 103(V) / 2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

कृत 11

21/9/16

झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा दीपगडीह थाना नं० ५४ खाता नं० 66
प्लॉट नं० ०९/१० रकबा ०.९१.६० एकड़ की
भूमि ज्ञ गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी II के जिल्द नं० १ के पृष्ठ संख्या १५ पर जमाबंदी रैयत श्री अहते वीपति अहते दी० अहते अहते के नाम से कायम है।


हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि व विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक 05/10/16 को उपस्थापित करे।


अंचल अधिकारी,
तोपचौंची

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का भोग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा पीपराडी मौजा नं० 18 खाता नं० 66


प्लॉट नं० रकबा 0.91०
से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी 11


के जमाबंदी भोलुम नं० I के पृष्ठ सं० 24 में रैयत श्री महेन्द्र नौ प्रतिमहो
श्री जहनु महतो सा० - पीपराडी, तोपचौंची के नाम से

कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
तोपचौंची।


अंचल अधिकारी,
तोपचौंची।

सद्विधा/सदेहास्पद जगाबदी राबदी जाँच प्रविषेदन

सद्विधा/सदेहास्पद जगाबदी रगत का जाँच ~~श्री कर्ला के पतिगहरी डी०~~
जगाबदी से संबंधित भूमि का विवरण ~~जब्त मकले~~
जगाबदी संख्या ५८ ६६ - ११८७०

जगाबदी पंजी-११ के अंतर्गत संख्या I पृष्ठ सं० १५ पर नमूना
जगाबदी किस वर्ष कायम है - १९८८-८९


सद्विधान के अनुसार स्वशेखत भूमि को रजिस्टार का जाँच
जगाबदी पंजी-११ के अंतर्गत संख्या I पृष्ठ सं० १५ पर नमूना
जगाबदी संख्या ५८ ६६ - ११८७०
जगाबदी पंजी-११ के अंतर्गत संख्या I पृष्ठ सं० १५ पर नमूना
जगाबदी संख्या ५८ ६६ - ११८७०


जगाबदी कायम किए जाने का आणक/अधिकारी द्वारा हुजुरीदार/सद्विधा
निर्धारण/सद्विधा भूबंदोवस्ती - ~~कन्दोवली~~
सद्विधास्पद जगाबदी का जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा
दाखिल रिटर्न/बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हरतांनक्षण पंजी)


~~कन्दोवली पंजी नमूना निम्नलिखित~~

सद्विधास्पद जगाबदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

रसीद संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
_____	_____	_____	_____


K.C.
V


CI


अचल अधिकारी
तोपचाँची

सूचना

जिला - अचल अचल
ग्राम - तोपचौकी पो. तोपचौकी
धाना - तोपचौकी जिला - धनबाद

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा तोपचौकी
धाना नं० 48 खाता नं० 66 प्लॉट नं० 1
रकबा 0.91 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं० 5 के पंजी ॥
भाग 5 के पृष्ठ 34 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र०अचल
निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 5/10/16 को समय 11:00 बजे
पूर्वा० में उक्त भूमि का रिटर्न -I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते
ए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसन्मत अनुशंसा कर दी
जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

दिनांक - 21/9/16

स्थान - तोपचौकी
मिथ कुमाल महता 9



[Signature]
अचल अधिकारी

[Signature] तोपचौकी

अचल का माली का सिगनेचर